terms of the foreign collaborations agreement approved by Government and Government will be losing 12 per cent excise duty on Glass?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Remittances of profits and dividends by foreign companies on their investments in India are allowed to be remitted freely after payment of Indian taxes. Payment on account of royalties and technical know-how fees by Indian companies to foreign companies in respect of approved projects are also freely allowed to be remitted abroad subject to deduction of taxes to the extent applicable. M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta did not declare any dividends for their financial years ending October 1962 to October 1967. During 1968 the Indian company declared an interim dividend of 5% on a total issued equity capital of the company of Rs. 180 lakhs of which the non-resident holding company holds 56.12%. Information regarding the actual remittances is not readily available. It will be collected and laid on the Table of the House.

(c) Manufacture of toughened glass does not need Government's approval under the Industries (R and D) Act, 1951. Thus M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta do not require Government's approval for the manufacture of toughened glass so long as no fresh foreign collaboration is involved for its manufacture and no import of capital equipment is involved. It is understood that Indian company had not so far started the production of toughened glass. 'Toughened glass' will fall within the category of "Sheet glass" and will therefore attract 12% excise duty leviable on "Sheet glass".

तिब्बिया कालेज

9185. **श्री अवधेश चन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बिया कालेज को प्रति वर्ष कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है ;

(ख) क्या तिब्बिया कालेज बोर्ड सरकार के अधीन है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या नियंत्रण रखती है ;

(घ) क्या तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने उस कालेज के बोर्ड के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप लगाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)

1966-67	–	2,85,000.00 रुपये
1967-68	–	3,18,000.00 रुपये
1968-69	–	3,22,550.00 रुपये

(ख) जी नहीं । यह तिब्बिया कालेज अधिनियम, 1952, के अधीन गठित एक स्वशासी बोर्ड के मातहत है । बोर्ड के सदस्यों का मनोनयन दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा प्रति वर्ष के आधार पर किया जाता है ।

(ग) इस बोर्ड और इससे सम्बद्ध संस्थानों के बजट प्राक्कलन प्रति वर्ष दिल्ली प्रशासन द्वारा मंजूर किये जाते हैं और उसी प्रशासन द्वारा कतिपय खर्च की मंजूरी भी दी जाती है । बोर्ड के लेखे चार्टर्ड लेखापाल द्वारा तैयार किये जाते हैं और हर वर्ष दिल्ली प्रशासन के स्थानीय निधि लेखा के परीक्षक तथा महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है । उप-राज्यपाल बोर्ड को निदेश दे सकते हैं ।

(घ) और (ङ). निगम कर्मचारियों की भाँति उन्हें मकान किराया भत्ते तथा महंगाई भत्ते के भुगतान न करने के विषय में कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए । कालेज का स्टाफ विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, रीडरों, लेक्चरारों, आदि के समान ही वेतन-मान देने की मांग कर रहा है । 1967 के बैच के छात्र शुद्ध पाठ्यक्रम के स्थान पर मिश्रित पाठ्यक्रम पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं । मिश्रित पाठ्यक्रम के छात्र संक्षिप्त पाठ्यक्रम की मांग कर रहे हैं जिससे वे एलोपैथी की प्रैक्टिश कर सकें । इन मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

तिब्बिया कालेज दिल्ली

9186. **श्री अवधेश चन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवारि नियोजन और निर्माण,